न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार RAS

राजस्व अपील संख्या – 16/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
01.भारमल गोद पुत्र करना राम जाति विश्नोई निवासी ग्राम चिचडली तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.श्रीराम पुत्र करना राम जाति विश्नोई निवासी ग्राम चिचडली तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.ग्राम पंचायत चिचडली तहसील जरिये सरपच 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 05/164 ग्राम पंचायत चिचडली तहसील लूणी जोधपुर द्वारा दिनांक 15.10.1978 को पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – प्रहलाद सिह।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता–उर्जाराम पटेल।

:: आदेश :: दिनांक :06.02.2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध ग्राम चिचडली के नामांतरकरण संख्या 05/164 दिनांक 15.10.1978 को ग्राम पंचायत चिचडली तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट के पेतृक हकूक की कृषि भूमि वाके ग्राम चिचडली तहसील लूणी के खसरा नम्बर 374 मे आई हुई है जो कि पूर्व मे उक्त खसरान की भूमि करना बिजा पुत्रान अणदा के नाम दर्ज थी जो जमाबन्दी 2030 से 2036 के राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है तत्पश्चात करना राम के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान का नाम अमल दरामद किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 5/164 दिनांक 15.10.1978 को ग्राम पंचायत चिचडली द्वारा स्वीकृत किया गया जो नामान्तरकरण करना के सभी विधिक वारिसान के बिना जॉच किये ही स्वीकृत कर दिया जबकि करना के विधिक वारीसान निम्न अनुसार थे।

अणदा

बिजा   करना

श्रीराम   भारमल गोदपुत्र

इस प्रकार करना के फौत हो जाने पर उसके गौद पुत्र भारमल व बिजा के फौत हो जाने पर उसके पुत्र श्रीराम का नाम दर्ज किया जाना कानुनन सही था। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना जॉच किये ही विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया जिसको निरस्त कर करना के विधिक वारिसान भारमल का नाम दर्ज करना आवश्यक है । इसी प्रकार स्व0 करना पुत्र अणदा के नाम से ग्राम मोडाथली तहसील लूणी मे खसरा सख्या 24,26,28 व 29 की कृषि भूमि आई हुई है जिसमे करना राम के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 16.08.1977 को स्वीकृत किया गया जिसमे करना, ग्राम ... नामान्तरकरण वारीसान मे भारमल का नाम दर्ज किया गया इससे भी यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण

संख्या 5/164 बिना जॉच की स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण को जॉच कर निम्न अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है भारगल गोद पुत्र करना राम श्रीराम पुत्र बिजा राम का विधिक वारीसान दर्ज किया जावे। कि अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 5/164 जो प्रारम्भ से ही बिना जॉच कर विधिक वारीसान का नाम दर्ज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट अपील निम्नलिखित तथ्यो पर प्रस्तुत कि गई ।

01.ग्राम पंचायत चिचडली सरपच द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 5/164 पूर्णयता मनमानापूर्ण विधिविरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

02.रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया गया जो राजस्व कर्मचारियो की शह व मनमाने तरीके से कार्य किया गया है।

03.अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हाल मे ही हुई तब अपीलान्ट अपनी जमीन के नकल राजस्व रेकर्ड से प्राप्त की पहले से इसकी जानकारी अपीलाण्ट को नही थी जिसमे अपीलान्ट का मौके पर जितनी जमीन है उतना राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज नही है।

04यह है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रारम्भ से ही शून्य आदेश व दस्तावेज को कभी भी निरस्त किया जा सकता है एव ऐसे दस्तावेज व आदेश को म्याद जैसे तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर बहाल नही रखा जा सकता है इसलिये एब इनिशियो वाईड आदेश के विरूद्व म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामील समन प्राप्त जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया इसलिए न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 5/164 जो कि ग्राम पंचायत चिचडली द्वारा दिनांक 15.10.1978 को ग्राम पंचायत चिचडली द्वारा स्वीकृत किया गया को एब इनिशियो वाईड मानकर निरस्त किया जावे एव राजस्व रेकार्ड मे करना के विधिक वारिशान अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। एव रेस्पोडेण्ट द्वारा हस्तगत अपील स्वीकार करने मे अपनी सहमती व्यक्त की गई ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जानी न्यायचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम चिचड़ली के नामान्तकरण संख्या 5/164 निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार झँवर को प्रतिपेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि विधिवत् जॉच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner